यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड-1 हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड-1 हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना ले.प. एवं सुश्री रेखा एवं श्री अनुप गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 30.11.2017 से 08.12.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एन.के. बंसल एवं कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 12.08.2016 से 24.08.2016 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व
2014-15	897.23
2015-16	978.92
2016-17	1633.30

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....ए.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड-1 हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड-1 हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: -

राजस्व: - माह मार्च 2017 को राजस्व की वस्तृत जांच हेतु चयनित।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ख

प्रस्तर-01 कर ₹1.27 लाख एवं ब्याज का अनारोपण ₹0.71 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरो पत कया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री कंसल इंटरप्राइजेज़, टिन- 05002091927 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में समस्त बिक्री पर 4.52 प्रतिशत का लाभ दर्शाया गया था तथा 13.5 प्रतिशत की दर की वस्तु की बिक्री ₹ 5080090 दर्शाई गयी थी। जब क व्यापारी द्वारा बिक्री ₹6020270 की गयी थी जो इस प्रकार है।

प्रारम्भिक रहतिया- ₹772794
खरीद- ₹5943196
लाभ- ₹229620 (₹5080090×4.52%)
योग- ₹6945610
अंतिम रहतिया- ₹925340
लाभ सहित कुल बिक्री- ₹6020270
दर्शाई गयी बिक्री- ₹5080090
कम दर्शाई बिक्री- ₹940180
कर की रा श- ₹940180×13.5% = ₹126924

इस प्रकार व्यापारी द्वारा कम प्रद र्शत बिक्री पर ₹126924 की कर देयता व इस रा श पर दिसम्बर 2017 तक 15% वा र्षक की दर से ब्याज ₹71395 लया जाना अपे क्षत है।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कृत कार्यवाही से अवगत करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ख

प्रस्तर-02 प्रपत्रों की वापसी व बकाए की वसूली न कया जाना ₹0.93 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्व श्री स्टार प्लास्ट टिन- 05006691376 द्वारा फर्म बंद होने की सूचना दिनांक 06.01.2015 को कार्यालय में दी गयी थी तथा व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 कोई भी खरीद-बिक्री नहीं की गयी थी, मात्र कै पटल गुड्स की बिक्री की गयी थी जिस पर नियमानुसार कर आरो पत कया गया था।

पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यापारी द्वारा की गयी इलैक्ट्रिकल फटिंग व मोटर कार की बिक्री ₹689394 पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹93068 कर आरो पत कया गया था जो व्यापारी द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक जमा नहीं कया गया है तथा व्यापारी के पास वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण आदेश के अनुसार 27 फार्म (सी) तथा 17 आयात फार्म (16) अवशेष दर्शाये गए थे।

वभाग द्वारा उक्त फार्मों को वापस लेने व बकाए ₹93068 की वसूली संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क व्यापारी को वसूली हेतु नोटिस भेजा गया है। नोटिस तामीली के 90 दिन के उपरान्त ही आर सी जारी की जाएगी तथा व्यापारी द्वारा दिनांक 06.01.2015 को फॉर्म 16 वापस कए गए जिसका संज्ञान वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण आदेश में कया जाएगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क आदेश तामीली का व फॉर्म वापसी संबंधी कोई साक्ष्य वभाग उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा तथा यह भी उल्लेखनीय है क व्यापारी के पते पर अन्य फर्म चल रही है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ख

प्रस्तर-04 कर का अनारोपण।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 ख के अनुसार देय दर पर कर का दायी होगा तथा इस अ धनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरो पत कया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री निर्मल दास बसंत लाल टिन 05002144113 द्वारा वर्ष 2013-14 के लए समाधान योजना के अंतर्गत वकल्प दिया गया था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा प्रारम्भिक रहतिया ₹343738 दर्शाया गया था जब क वर्ष 2012-13 का अंतिम रहतिया ₹1693529 था। कुल बिक्री ₹5285810 पर 1 प्रतिशत की दर से ₹52858 अदा कया गया था।

पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 में स्वतः कर निर्धारण योजना के अंतर्गत कर निर्धारण हुआ था। जिसमें व्यापार खाता में ₹1693529 का अंतिम अवशेष दर्शाया गया था। इसमे से केवल ₹343738 को वर्ष 2013-14 का प्रारम्भिक रहतिया दिखाया गया। व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 तक आई टी सी का लाभ लया जाता रहा था इस लए वर्ष 2012-13 में ही अंतिम स्टॉक ₹1693529 को बिक्री मानते हुए निय मत कर निर्धारण कया जाना अपे क्षत है।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा ल पकीय त्रुटि मानते हुए प्रारम्भिक व अंतिम रहतिया में संशोधन करने का आश्वासन दिया गया है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क व्यापारी द्वारा वर्ष 2013-14 से पूर्व आई टी सी का लाभ लया गया था इस लए वर्ष 2012-13 के अंतिम स्टॉक पर समाधान योजना के अंतर्गत न करके निय मत कर निर्धारण कया जाना अपे क्षत रहेगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ख

प्रस्तर-03 नियमों के वपरीत मजदूरी की मद में छूट देने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति ₹73219

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम के शासनादेश के अनुसार जिन स वल सं वदाओं में मट्टी का कार्य (अर्थवर्क) सं वदा की कुल धनरा श की 33 प्रतिशत से अ धक होगा उनमें सं वदाकार को प्राप्त होने वाली धनरा श में से अर्थवर्क के संबंध में सं वदा की 33 प्रतिशत से अ धक प्राप्त होने वाली धनरा श घटा दी जाएगी तथा अवशेष धनरा श पर समाधान धनरा श की गणना की जाएगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री निलांजन एसो शएट टिन- 05010058634 द्वारा वर्ष 2011-12 में तथा वर्ष 2013-14 में समाधान योजना का वकल्प लया गया था जो इस प्रकार है।

(1)सं वदाकार द्वारा वर्ष 2011-12 में सकल भुगतान ₹4763394 प्राप्त कया गया था जिसमें 30 प्रतिशत मजदूरी ₹1429018 घटाते हुए ₹3334376 पर 01 प्रतिशत की दर से ₹33344 समाधान रा श निर्धारित की गयी थी जब क समाधान योजना का वकल्प लेने पर धारा 7(2) के अंतर्गत मजदूरी 30 प्रतिशत की छूट ₹1429018 न देकर सकल भुगतान ₹4763394 पर 01 प्रतिशत की दर से समाधान रा श ₹47634 निर्धारित कया जाना अपे क्षत था।

इस प्रकार सं वदाकार से ₹14290 (₹47634-₹33344) वसूली योग्य है।

(2)सं वदाकार द्वारा वर्ष 2013-14 में धनरा श ₹4910774 का सकल भुगतान प्राप्त कया गया था जिस पर 30 प्रतिशत मजदूरी ₹1473232 घटाते हुए ₹3437542 पर 04 प्रतिशत की दर से ₹137502 निर्धारित की गयी थी जब क समाधान योजना का वकल्प लेने पर धारा 7(2) के अंतर्गत मजदूरी 30 प्रतिशत की छूट ₹1473232 न देकर सकल भुगतान ₹4910774 पर 04 प्रतिशत की दर से समाधान रा श ₹196431 निर्धारित कया जाना अपे क्षत था।

इस प्रकार सं वदाकार से ₹58929 (₹196431-₹137502) वसूली योग्य है

अतः सं वदाकार से ₹73219 (₹14290+₹58929) की देयता बनती है तथा इस धनरा श पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN-1

STAN-1 कर का अनारोपण ₹ 3.11 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरो पत कया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री प्रंटवेल टिन- 05009981228 द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹2305377 की मशीनरी आयातित खरीद की गयी थी। पत्रावली में बैलेन्सशीट उपलब्ध न होने के कारण इस मशीनरी की स्टॉक में रहने की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः मशीनरी की स्टॉक में रहने की पुष्टि न होने के कारण ₹2305377 मूल्य की मशीनरी की बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से ₹311226 कर आरोपणीय था तथा इस धनरा श पर जमा करने की ति थ तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त बैलेन्स शीट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
07/2014-15	-	02,03,04	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
07/2014-15	02	प्रस्तुत	यथावत रखा जा सकता है।	
	03	प्रस्तुत	निस्तारित कया जा सकता है।	
	04	प्रस्तुत	निस्तारित कया जा सकता है।	
	STAN-01	प्रस्तुत	निस्तारित कया जा सकता है।	

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड-1 हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	सुश्री गुलरेज़ रजवी	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड-1 हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र